



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2019/भाद्र 21, 1941

No. 523]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2019/BHADRA 21, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 645(अ).—कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार स्वीकार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को सुश्री पूजा स्वरूप, उप सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011 को अथवा pooja.swaroop@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप और/या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2019 है।
- माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 56 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा:

“(1) उत्पादक द्वारा रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तावित प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा प्रारूप भौ उ.-3 में किया जाएगा

और साथ में मामले का एक कथन होगा कि वह रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन का उत्पादक होने का दावा कैसे कर रहा है। आवेदक आवेदन की प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को अग्रेषित करेगा, और रजिस्ट्रार को तामीला से अवगत करेगा।”

3. मूल नियम के नियम 56 के उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियम के नियम 59 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा:

(1) जहाँ जर्नल में विज्ञापित या पुनः विज्ञापित आवेदन के विरोध की कोई सूचना धारा 17 की उप-धारा (3) के उप-खंड (ड) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फ़ाइल नहीं की जाती या जहाँ विरोध फ़ाइल किया जाता है और वह खारिज कर दिया जाता है, वहाँ रजिस्ट्रार प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर के भाग ख में प्रविष्ट करेगा और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की मुहर के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5. मूल नियम के नियम 59 के उप-नियम (2) के खंड (च) और (छ) का लोप किया जाएगा।

6. मूल नियम के नियम 59 के उप-नियम (3) में, निम्नलिखित का लोप किया जाएगा:

“भौगोलिक उपदर्शन की मढ़ी हुई समाकृति जो उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण के समय दी गई है, ऐसे अनुरोध के साथ दी जाएगी।”

7. मूल नियम की पहली अनुसूची में,

क) प्रविष्टि 3क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

3क	धारा 17, नियम 56 (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	शून्य	भौ.उ. 3
----	---	-------	---------

ख) प्रविष्टि 3ख का लोप किया जाएगा;

ग) प्रविष्टि 3ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

3 ख	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नवीकरण के लिए धारा [18 (2), नियम 60(1)]	शून्य	भौ.उ. 3
-----	---	-------	---------

8. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में,

क) निम्नलिखित पंक्ति का लोप किया जाएगा:

भौ.उ.-3	धारा 18(5), नियम 59	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध	3ख
---------	---------------------	---	----

ख) निम्नलिखित पंक्ति में, शब्द "3ग" के स्थान पर शब्द "3ख" निम्नानुसार रखे जाएंगे:

भौ.उ.-3	18(2), नियम 60(1)	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नवीकरण के लिए	3ख
---------	-------------------	---------------------------------------	----

9. मूल नियम में प्ररूप भौ.उ.3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

<p>माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999</p> <p>माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002</p> <p>प्ररूप भौ.उ. 3क</p>

<p>प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन [धारा 17 (1), नियम 56 (1)]</p> <p>फीस: रु. शून्य [पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 3 क देखें]</p>	
(1) आवेदक का नाम (प्रस्तावित प्राधिकृत उपयोगकर्ता): _____	
(2) आवेदक का पता _____	
(3) सेवार्थ पता (यदि उपरोक्त से भिन्न है): _____	
(4) पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन जिसके लिए आवेदन किया गया है: _____	
(5) ईमेल: _____	
(6) दूरभाष/मोबाइल नं.: _____	
घोषणा:	
(1) मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने मामले का कथन और भौगोलिक उपदर्शन के रूप में पंजीकृत _____ के पंजीकृत स्वत्वधारी ____ (पंजीकृत स्वत्वधारी का नाम) को आवेदन के प्रति के तामीला का साक्ष्य संलग्न किया है।	
(2) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।	
(3) मैं यह दावा करता हूँ कि यदि कोई भी जानकारी गलत या मिथ्या पायी जाती है, तो मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है और यदि पहले से स्वीकृत है, तो मेरे पंजीकरण का प्रतिसंहरण किया जा सकता है और मेरा नाम रजिस्टर के भाग ख से हटा दिया जाएगा।	
दिनांक:	
स्थान:	हस्ताक्षर

<p>माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999</p> <p>माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002</p> <p>प्ररूप भौ.उ. 3ख</p> <p>प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन [धारा 18 (2), नियम 60 (1)]</p> <p>फीस: रु. शून्य [पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 3ख देखें]</p>	
आवेदक का नाम (प्राधिकृत उपयोगकर्ता): _____	
आवेदक का पता: _____	
सेवार्थ पता, यदि उपरोक्त से भिन्न है: _____	
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन जिसके लिए आवेदन किया गया है : _____	
ईमेल _____	
दूरभाष/मोबाइल नं. : _____	
घोषणा:	
मैं अभिस्वीकृत करता हूँ कि नवीकरण के उपरांत प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में मेरा पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, अथवा ऐसी अवधि के लिए जब तक भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत होना जारी रहेगा, जो भी कम हो।	
दिनांक:	
स्थान:	हस्ताक्षर

[फा. सं. P-24027/4/2018-आईपीआर-IV(Pt-1)]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. 176(अ) तारीख 8 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2019

G.S.R. 645(E).—The following draft of certain Rules to amend the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 87 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999), is hereby published, as required by sub-section (3) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the Official Gazette, containing the notification, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Ms. Pooja Swaroop, Deputy Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 or by e-mail at pooja.swaroop@gov.in

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) (Amendment) Rules, 2019.
2. For sub-rule (1) of Rule 56 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002 (hereinafter referred as the principal rules), the following sub rule shall be substituted:
“(1) An application to the Registrar for the registration under Section 17 by a producer as an authorized user of the registered geographical indication shall be made by the proposed authorized user in Form GI-3 and shall be accompanied by a Statement of Case of how he claims to be the producer of the registered geographical indication. The applicant shall also forward a copy of the application to the registered proprietor, and intimate the Registrar of due service of the same.”
3. Sub-rule (2) of rule 56 of the principal rules shall be deleted.
4. In sub-rule (1) of Rule 59 of the principal rules, the following sub-rule shall be substituted :
(1) Where no notice of opposition is filed to an application advertised or re-advertised in the Journal within the period specified under sub-clause (e) of sub-section (3) of Section 17 or where an opposition is filed and it is dismissed, the Registrar shall enter the authorised user in Part B of the register and shall issue a registration certificate with the seal of Geographical Indication Registry.
5. Clauses (f) and (g) of sub rule (2) of rule 59 of the principal rules shall be deleted.
6. In sub-rule (3) of Rule 59 of the principal rules, the following shall be deleted :
“An unmounted representation of the geographical indication exactly as shown in the form of application for registration thereof at the time of registration shall accompany such request.”
7. In the FIRST SCHEDULE of the principal rules,
a) the entry 3A shall be substituted as under:

3A	On application for the registration of an authorised user of a registered geographical indication [section 17, Rule 56(1)]	NIL	GI-3
----	--	-----	------

- b) the entry 3B shall be deleted;
c) the entry 3C, shall be substituted as under:

3B	For renewal of an authorised user [section 18(2), rule 60(1)]	NIL	GI-3
----	---	-----	------

8. In the SECOND SCHEDULE of the principal rules,

- a) the following row shall be deleted:

GI-3	Section 18(5), rule 59	Request for issuance of a registration certificate as an authorised user.	3B
------	------------------------	---	----

- b) In the following row, the words “3C” shall be substituted with the words “3B” as under:

GI-3	18(2), rule 60(1)	For renewal of an authorised user	3B
------	-------------------	-----------------------------------	----

9. The Form GI 3 in the principal rules shall be substituted as under:

Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999 Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Rules, 2002 Form GI 3A Application for the Registration of an Authorized User [Section 17 (1), Rule 56 (1)] Fee: Rs. Nil [See entry No.3A of the First Schedule]	
(1) Name of the Applicant (proposed Authorized user): _____ (2) Address of the applicant _____ (3) Address of service (if different from Above) : _____ (4) Registered Geographical Indication for which application is made: _____ (5) Email id: _____ (6) Phone/mobile number : _____	
Declaration: (1) I hereby declare that I have enclosed the statement of case and evidence of due service of copy of my application to the registered proprietor <u> (Name of registered proprietor) </u> for _____, registered as a Geographical Indication. (2) I also declare that all the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. (3) I undertake that if any of the information is found incorrect or false, my application may be rejected and if already accepted, my registration may be revoked and my name removed from Part B of the register.	
Date:	
Place:	SIGNATURE

Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999 Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Rules, 2002 Form GI 3B Application for Renewal of Registration of an Authorized User [Section 18 (2), Rule 60 (1)] Fee: Rs. Nil [See entry No.3(B) of the First Schedule]	
--	--

- (1) Name of the Applicant (Authorized User): _____
- (2) Address of the applicant: _____
- (3) Address of service if different from above: _____
- (4) Registered Geographical Indication for which application is made: _____
- (5) Email id _____
- (6) Phone/mobile number : _____

DECLARATION:

I acknowledge that my registration as an authorised user will be valid after renewal for a period of 10 years, or for such period as the geographical indication continues to be registered, whichever is lesser.

Date:

Place:

SIGNATURE

[F. No. P-24027/4/2018-IPR-IV(Pt-1)]

RAJIV AGGARWAL. Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India; Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 176 (E), dated 08th day of March 2002.